

## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2017-18 से 2021-22 (मार्च 2024 तक अद्यतित) की अवधि को आच्छादित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित की गई है।

